(7)

राजस्व मंडल

माननीय न्यायालय ग्वालियर संभाग, ग्वालियर म.प्र.

वलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रिवीजन प्रकरण कमांक /2013

R 1847 III /13

याचिकाकर्ता/आवेदक—— भैयालाल, आयु 60 साल पुत्र पर्वतसिंह यादव, निवासी ग्राम तरावली, परगना कोलारस, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

बनाम्

प्रतियाचिकाकर्ता/अनावेदक—

1. फूलसिंह, आयु 45 साल,
2. बबूसिंह, आयु 40 वर्ष पुत्रगण सूबाजी,
3. कमलाबाई, वैवा सूबाजी यादव

निवासी ग्राम तरावली, परगना कोलारस, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

प्रथम पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध प्रकरण कमांक 27/08—09/अपील के निर्णय/आदेश दिनांक 19.03.2013 जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की अपील अस्वीकार कर फरमाया गया।

इस याचिका प्रस्तुति से पूर्व आवेदक द्वारा समान प्रकृति की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका अन्य किसी न्यायालय में प्रस्तुत की गयी ना ही विचाराधीन है।

याचिकाकर्ता/आवेदक की ओर से पुनरीक्षण याचिका निम्न प्रकार

XXX BR H-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

------ श्री भैयालाल /फूलसिंह आदि

प्रकरण क्रमांक निग0 1847–तीन/13 जिला –शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–2–16	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, परगना कोलारस जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 27/2008–09/अपील आदेश दिनांक 19–3–13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । ग्राहयता पर अभिभाषक के तर्क सुने एवं प्रकरण का अवलोकन किया । उनके द्वारा बताया गया है कि तहसीलदार द्वारा नामांतरण पंजी पर किये गये आदेश दिनांक 22–11–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समयावधि के आधार पर अवधिवाहय विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण अस्वीकार कर दी । जबकि उसे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी विलम्ब से हुई थी । प्रकरण का अवलोकन किया इससे प्रकट होता है कि याचिकाकर्ता नामांतरण पंजी कमांक 43 आदेश दिनांक 22–11–2002 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत की थी । अनुविभागीय अधिकारी ने 6 वर्ष 7 माह बाद विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने के लिये कोई ठोस कारण एवं पर्याप्त आधार नहीं बताने के कारण अपील अस्वीकृत कर दी । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया गया यह आदेश अंतिम प्रकार का है जिसमें उन्होनें अपील समाप्त कर दाखिल रिकार्ड करने के आदेश दिये हैं अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध याचिकाकर्ता को अपील प्रस्तुत करना चाहिए थी परन्तु उसके द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की है जो ग्रहय योग्य नहीं है । अतः निरानी निरस्त की जाती है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	